

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन-शाखा), मध्य प्रदेश, सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमांक/समिति/365/131

भोपाल, दिनांक 10/08/2009

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(उत्पादन) मध्यप्रदेश

विषय:- प्रदेश के कृषकों को खुदरा बिक्री के जरिये औद्योगिक बांस प्रदाय संबंधी व्यवस्था हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्राधिकृत करने बाबत ।

राष्ट्रीयकृत वनोपज अंतर्विभागीय समिति की 365 वीं बैठक दिनांक 14-07-2009 (अ.प्र.मु.व.सं. उत्पादन के विषय क्रमांक-04) में लिये गये निर्णय अनुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) के पत्र क्रमांक/निर्वर्तन बांस/2507 भोपाल दिनांक 26-06-2009 में खण्डवा वृत्त को वर्ष 2009-10 हेतु 250 वि०ई० औद्योगिक बांस कृषकों को प्रदाय करने हेतु जारी की गई स्वीकृति का अनुमोदन किया जाता है साथ ही साथ विशेष परिस्थितियों में कृषकों को कृषि कार्य हेतु 50 वि०ई० औद्योगिक बांस किसी भी वन वृत्त को एक वर्ष में प्रदाय किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति जारी करने हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश को अधिकृत किया जाता है ।

म०प्र० के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ. आर.के.गुप्ता)

पदेन अपर सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/समिति/365/132

भोपाल, दिनांक 10.08.2009

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. महालेखाकार (क्रमांक एक) म०प्र० ग्वालियर को (समिति की बैठक दिनांक 14-07-2009 में प्रस्तुत विषय पर संदर्भित टीप एवं कार्यवाही विवरण के उद्धरण की प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

पदेन अपर सचिव

म०प्र० शासन, वन विभाग